महिला पंच और पंचायतीराज

सुहास कुमार

बहनों, तुम्हें एक रोमांचकारी खबर सुनाएं। अब महिलाएं भी देश की शासन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी।

वह कैसे? क्या जैसे इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी थीं।

नहीं बहनों, यहां हम केंद्रीय सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। एकाध महिला की बात भी नहीं कर रहे हैं। यहां हम नए पंचायती क़ानून की बात कर रहे हैं जिसमें कुल पंचों में से 30 फी सदी महिला पंच चुनी जाएंगी। यही नहीं, गांवों की पंचायतों को बहुत सी नई ताक़तें व अधिकार दिए गए हैं।

इतने बड़े देश का शासन सिर्फ केंद्रीय व राज्य सरकारें अच्छी तरह नहीं चला पाती हैं। स्थानीय शासन गांववाले अपने आप चला सकें इसके लिए 1961 में बने पंचायती क़ानून एक्ट में बहुत से सुधार किए गए हैं। यह संविधान के 72वें व 73वें संशोधन के नाम से जाने जाते हैं। यह नया क़ानून 2 दिसंबर 1992 को बना।

पर बहना, प्रधान कक्का चौधरी हमें खड़ा होने दें, तब न?

नहीं, इस बार वह महिलाओं को खड़ा होने से रोक नहीं पाएंगे। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उन पर महिलाओं को ही टिकट मिलेगा। अगर महिला नहीं खड़ी होती है तो वह सीटें चाहे खाली रह जाएंगी, पुरुष उन पर चुनाव नहीं लड़ सकते।

माना कि हम खड़े हुए और चुन भी लिए गए, पर हमारी सुनेगा कौन?

नहीं, इस पर भी सोचा गया है। महिलाओं के लिए गांव पंचायत, ब्लॉक समितियों व ज़िला परिषद, तीनों स्तरों पर 30 फी सदी सदस्यता के आरक्षण के साथ सरपंच व उपसरपंच की सीटों के लिए भी 30 फी सदी आरक्षण होगा। अगर महिला सरपंच या उपसरपंच चुनी गई तो ठीक है वरना इन दोनों में से एक तो उन्हें बनाना ही होगा।

बहना, यह सरपंच वाली बात ज़रा ठीक से बताओ।

मान लो एक ब्लॉक में 20 गांव हैं तो कम से कम 6 गांवों में महिला सरपंच या उपसरपंच चुनी जाएंगी। अगले चुनाव में दूसरे 6 गांवों में महिला

सरपंच या उपसरपंच चुनी जाएंगी। उससे अगले चुनाव में दूसरे गांवों में ऐसा किया जाएगा।

बहना, यह तो भारी ज़िम्मेवारी है। हमें तो बहुत कुछ सीखना व जानना होगा। तभी हम यह ज़िम्मेवारी उठा पाएंगी। वैसे है तो यह बड़ी रोमांचकारी खबर। फिर तो बहुत ढेर सी महिलाएं

राजनीति में आ जाएंगी।

हां, जब यह पूरी तरह लागू होगा तो लगभग 8 लाख औरतें इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी।

रुपए-पैसे व कार्य का नियंत्रण

बहना, अब यह बताओ कि हम क्या-क्या काम कर पाएंगे। उनके लिए पैसा कहां से आएगा। और पैसे पर हमारा ज़ोर कितना होगा?

राज्य की विधान सभा पंचायत को क़ानूनन यह अधिकार दे सकती है कि कर वसूली वे करें। राज्य के फंड में से भी पंचायतों को पैसा दिया जा सकता है।

ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समितियों को यह हक़ दिया जाएगा कि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं बनाएं व उन्हें लागू करें।

तो बहना, हम पानी के नल लगवाएं, राशन की दुकान खुलवाएं, स्कूल, अस्पताल, आटे की चक्की आदि भी खुलवा सकते हैं।

हां, यही सब तो महत्वपूर्ण बातें हैं। गांव के हित में, महिलाओं व बच्चों के हित में जो होना है सब आपको तय करना है। अपनी आवाज़ भी उठानी है और कुछ कर के भी दिखाना है। □

पंचायती-राज में वित्तीय प्रबंध

हर राज्य को एक साल के अंदर वित्तीय कमीशन बनाना होगा। हर 5 साल में इसका फिर से गठन होगा। इसका काम होगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी रखना, उनको दी जाने वाली अनुदान राशि तय करना, कौन-कौन से कर कितनी मात्रा में वसूले जाएं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और इस आमदनी को किन-किन कामों में लगाया जाए।

आर्थिक विकास कार्यक्रम ग्यारहवीं अनुसूची

भूमि, खेती, सिंचाई के साधनों का विकास एवं विस्तार। पशु पालन एवं विभिन्न प्रकार के लघु व कुटीर उद्योग-धंधों का विकास। गांवों में पेयजल, ईंधन, चारा, बिजली, सड़कें व आवागमन के साधनों का विस्तार, प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल, तकनीकी व व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज खुलवाना। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का विकास एवं लोगों को उन्हें मुहैया करवाना। कमज़ोर, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजातियों, बच्चों व स्त्रियों के कल्याण संबंधी विशेष योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना।

कर वसूली के क्षेत्र

ग्राम पंचायतों को आवास-कर, पशुओं और अन्य वस्तुओं पर चुंगी, वाहन-कर, तीर्थ-कर, पेयजल आपूर्ति-कर, देशी शराब की बिक्री पर 2 प्रतिशत कर आदि लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा छुट्टा छोड़ दिए जाने वाले मवेशियों के मालिकों से जुर्माना, निर्माण कार्यों में अनुमति, सार्वजनिक भूमि पर स्थाई स्वामित्व व अस्थाई निर्माण के लिए शुल्क, बिजली व पानी की सुविधा के लिए कर, संपत्ति, निवास व जाति के लिए प्रमाण पत्र आदि पर पंचायतें शुल्क-वसूली कर सकती हैं।